जनसत्ता

ताज और चुनौतियां

पिछले साल जुलाई में जगत प्रकाश नड्डा को जब भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, तभी यह साफ हो गया था कि वे ही भाजपा के अगले अध्यक्ष होंगे। सोमवार को औपचारिक रूप से भाजपा अध्यक्ष के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई और नड्डा के सामने कोई उम्मीदवार नहीं होने के बाद उन्हें पार्टी का अगला अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। पर अब अध्यक्ष बनते ही नड्डा की जिम्मेदारियां और चुनौतियां पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी तक तो भाजपा संगठन में सारे फैसले अमित शाह ही लेते रहे थे, बिना उनके पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता था। अब यह काम नड्डा को करना होगा। ऐसे में जो कुछ अमित शाह छोड़ कर जा रहे हैं, उसे बनाए रखते हुए नड्डा को पार्टी को और तेजी से आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री (पूर्व भाजपा अध्यक्ष) ने उम्मीद भी यही जताई है कि नए अध्यक्ष पार्टी को और ज्यादा मजबूत व व्यापक बनाएंगे। इसलिए नड्डा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे पार्टी संगठन से ज्यादा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की उम्मीदों को पूरा करें।

नड्डा भाजपा के पुराने मंजे हुए नेता हैं। छात्र संघ से लेकर संगठन तक की राजनीति उन्होंने की है। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य की राजनीति का उन्हें गहरा तजुर्बा है। नड्डा ने उपेक्षित से समझे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में पार्टी की जड़ें मजबूत करते हुए इसे भाजपा का गढ़ बना डाला। इसलिए भाजपा को आगे बढ़ाने का अमित शाह जैसा कौशल नड्डा में भी है, इसमें कोई संशय नहीं है। हालांकि नए अध्यक्ष के लिए यह चुनौती भरा काम होगा। नड्डा का कार्यकाल तीन साल का है और इन तीन सालों में ही उन्हें काफी कुछ करके दिखाना होगा। ऐसा इसलिए भी है कि हर कोई नड्डा की सफलताओं-विफलताओं की तुलना पूर्व अध्यक्ष से करेगा। अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए देश के कई राज्यों में भाजपा का न सिर्फ आधार बढ़ा है, बल्कि कई राज्यों में भाजपा सत्ता में आई। खासतौर से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की जोरदार जीत और 2017 में विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना अमित शाह की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसी तरह असम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भाजपा की जीत का जो परचम फहरा, उसका श्रेय शाह को ही जाता है। अब जीत का यही सिलसिला नड्डा को आगे बढ़ाना है।

नड्डा ने पार्टी की कमान ऐसे वक्त में संभाली है जब कुछ दिन बाद ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। 2014 में केंद्र में धमाकेदार जीत के बाद भी 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात्र तीन सीटें मिली थीं। इसलिए अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव नड्डा की पहली परीक्षा होगा। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित जिन राज्यों में चुनाव हैं, उनकी दिशा तय करने में बिहार विधानसभा चुनाव महत्त्वपूर्ण होंगे। नड्डा के लिए उन सारे राज्यों को, जहां भाजपा सत्ता में नहीं है, संभालना दुष्कर इसलिए भी है कि सभी राज्यों में नागरिकता कानून को लेकर केंद्र के कदम का जोरदार विरोध हो रहा है और लोग सड़कों पर हैं। तीन बड़े राज्य राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ भाजपा पहले ही खो चुकी है। हाल में महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों ने भी ये साबित कर दिया है कि भाजपा का ग्राफ उतार पर है। कश्मीर के राजनीतिक घटनाक्रम भी भाजपा के लिए मामूली नहीं हैं। ऐसे में पार्टी में नया दमखम भरते हुए कैसे राज्यों को फतह किया जाएगा, ये नड्डा को सोचना होगा।

वोट के लिए

सत्ता पाने के मकसद से होने वाली चुनावी लड़ाइयों में मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से लुभावने वादे करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि चुनावी मौसम में वोट पाने के लिए किए गए ऐसे ज्यादातर वादे किसी अंजाम तक पहुंचने का इंतजार ही करते रह जाते हैं। इसके बरक्स एक हकीकत यह भी है कि कई राजनीतिक पार्टियां चुनावों में हर हाल में जीत के लिए मतदाताओं के सामने ऐसे वादे भी कर देती हैं, जो दिखने में तो आकर्षक लगते हैं, लेकिन उनका आर्थिक बोझ दूसरे पहलुओं पर असर डालता है। राजधानी दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है तो उसके मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अभी से कवायद में लग गए हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी इसी मकसद से सक्रिय दिख रही है। हालांकि अभी पार्टी का घोषणा-पत्र सामने नहीं आया है, लेकिन रविवार को जारी 'गारंटी कार्ड' के तहत जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, उनसे यही लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी पार्टी ने लोगों के सामने वोट के बदले आकर्षक प्रस्ताव रखे हैं।

इसमें मौजूदा कार्यकाल के बिजली और पानी के बिल को मुद्दा बनाने के अलावा पार्टी ने शिक्षा, चिकित्सा, प्रदूषण से लेकर झुग्गी बस्तियों के लोगों को पक्के मकान की गारंटी जैसे कई अन्य आकर्षक प्रस्ताव दिए हैं। लेकिन यह देखने की बात होगी कि इन पर ठोस पहलकदमी का स्तर क्या होता है। पार्टी ने जिस तरह विश्वस्तरीय यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ विद्यार्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है, उसने एक बार फिर सत्ता के लिए उसके लोकप्रियतावाद का सहारा लेने की प्रवृत्ति की पुष्टि की है। यों इस तरह के लुभावने वादे सभी पार्टियां करती रही हैं, लेकिन इस प्रवृत्ति से एक सवाल यह भी उठता है कि जनता को कोई सुविधा मुफ्त मुहैया कराने से सरकार के कोष पर जो बोझ पड़ता है, क्या उसकी भरपाई जनता से ही नहीं की जाती है! आम आदमी पार्टी की सरकार ने हाल ही में दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के तहत चलने वाली बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर की शुरुआत की। अब ताजा गारंटी कार्ड में विद्यार्थियों को भी यह सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया है। सवाल है कि कार्यकाल के अंतिम दौर में महिलाओं के लिए और अब अगले चुनाव को ध्यान में रख कर विद्यार्थियों के लिए मुफ्त सफर के वादे को क्या लोभ की राजनीति नहीं माना जाएगा?

दरअसल, राजनीतिक दलों के आकर्षक माने जाने वाले वादे नागरिकों के आम अधिकार ही होते हैं। सही है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लीनिक जैसे कुछ कामों को 'आप' सरकार अपनी उपलब्धि बता सकती है। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के अधिकार को सरकार की ओर से अपनी उपलब्धि बताने को कैसे देखा जाए? गुणवत्ता से लैस सस्ती चिकित्सा और शिक्षा, यातायात सुविधा जनता को मिलने वाले एक सहज अधिकार होने चाहिए। समाज के किसी हिस्से के लिए मुफ्त सफर की व्यवस्था के समांतर जरूरी यह भी है कि सार्वजनिक परिवहन के स्तर को उन्नत बनाया जाए। लेकिन दिल्ली में विश्वस्तरीय यातायात व्यवस्था की गारंटी परोसने के बरक्स पिछले पांच साल में दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में कितनी बसें जुड़ीं, यह किसी से छिपा नहीं है। इस मामले में सरकार का ज्यादा ध्यान क्लस्टर बसों का विस्तार करने पर रहा। पानी-बिजली के बिल में सुविधा या सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त सफर के वादे से ज्यादा जरूरी यह है कि जनता के बुनियादी अधिकारों को लोभ का मुद्दा न बना कर उसे सरकार के दायित्वों के रूप में देखा जाए।

कल्पमेधा

तुम यहां मेहमान हो। इस पृथ्वी को कुछ अधिक सुंदर छोड़ कर जाओ; अधिक इंसानियत से भरी, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक सुगंधयुक्त, उन मेहमानों के लिए जो तुम्हारे बाद आएंगे।

-ओशो

भूजल संकट की गंभीरता

सुविज्ञा जैन

पिछले कुछ समय में जिस रफ्तार से जमीन से पानी निकाला जा रहा है, वह पुनर्भरण की रफ्तार से तेज है। जाहिर है, भूजल घटता जा रहा है। देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां भूजल खत्म होने को है या पहुंच से काफी नीचे चला गया है। इसके लिए अगर पूरी ताकत लगा दें, फिर भी इसके पुनर्भरण में कई साल लग जाएंगे।

घटते भूजल की चिंता बढ़ती जा रही है। हाल में दुनिया के चौरानवे देशों के एक हजार से ज्यादा वैज्ञानिकों, जल विशेषज्ञों और संबंधित जानकारों ने इस ओर ध्यान दिलाते हुए दुनियाभर की सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के नाम एक बयान जारी किया है। यह मसला हाल फिलहाल उतना बड़ा जरूर न दिख रहा हो, लेकिन साल दर साल जिस तरह भूजल संकट बड़ा बनता जा रहा है, उसके मद्देनजर फौरन ही चेत जाना चाहिए।

पिछली सदी के अस्सी के दशक से आज तक दुनिया में पानी की खपत हर साल कम से कम एक फीसद बढ़ रही है। इस हिसाब से यह अंदाजा भी लग गया है कि कितनी भी किफायत बरत लें, आज की तुलना में 2050 तक दुनिया को कम से कम तीस प्रतिशत अतिरिक्त पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पिछले हफ्ते जारी वैज्ञानिकों का बयान चेता रहा है कि इसे दूर की बात न मानें बल्कि निकट भविष्य में भी खतरे की घंटी बजने को है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जल संकट कोई नई चिंता है। पिछले तीन दशक से इसे जताया जा रहा है। ये अलग बात है कि इस बीच कोई बड़ा हादसा हुआ दिखाई नहीं दिया। सवाल उठना स्वाभाविक है कि बढ़ती मांग के बावजूद पानी का इंतजाम हो कहां से रहा है। जवाब है कि सतही जल कम पड़ने के बाद पूरी दुनिया में जमीन के नीचे आरक्षित भूजल का दोहन बढ़ता गया। दुनिया की जो हालत है, वह तो फिर भी उतनी खराब नहीं है जितनी कि अपने देश की है। इसका सीधा-सा कारण है कि दुनिया में इस समय जितना भूजल दोहन हो रहा है, उसका एक चौथाई सिर्फ भारत में जमीन से उलीचा जा रहा है। जबकि भौगोलिक तथ्य यह है कि दुनिया में जितनी जमीन है, उसकी तुलना में भारत की भूमि का क्षेत्रफल सिर्फ ढाई फीसद है। इस हिसाब से देखें, तो हम विश्व के मुकाबले कोई दस गुना भूजल दोहन कर रहे हैं, यानी घटते भूजल से होने वाला खतरा सबसे ज्यादा हमारे सामने ही है।

इसे ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं कि बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और अतिदोहन से घटते भूजल के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता पिछले दशकों के मुकाबले तेजी से घट गई है। कहा जा सकता है कि सिर्फ हम नहीं, बल्कि दुनिया के कई इलाके पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की 'वर्ल्ड वाटर डवलपमेंट' रिपोर्ट के मुताबिक करीब चार सौ करोड़ लोग यानी दुनिया की दो तिहाई आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है, जहां साल के कई महीनों में पानी की भारी किल्लत रहती है और इनमें से दो सौ करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरे साल ही पूर्ण रूप से पानी का संकट झेल रहे हैं। इन क्षेत्रों को 'वाटर स्ट्रेस्ड' क्षेत्र कहा जाता है। गंभीर बात यह है कि पानी की बेहद कमी वाले इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां बारिश से पर्याप्त जल मिलता है। पर्याप्त वर्षा के बावजूद जल संकट का मुख्य कारण वहां बारिश के पानी का सीमित भंडारण है। बारिश से मिलने वाले पानी को पूरा-पूरा रोक कर रखने में ज्यादातर छोटे और विकासशील देश आज भी असमर्थ हैं। दरअसल, वर्षा जल भंडारण एक खर्चीला काम है। जिन गरीब और विकासशील देशों को अपने विकास में पानी का महत्त्व समझ में आ रहा है, वे इस ओर ध्यान तो देना चाहते हैं, लेकिन इसमें उनकी माली हालत आड़े आ जाती है। हालांकि यह सवाल जरूर उठाया जा सकता है कि जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज पानी के इंतजाम के लिए क्या आर्थिक संसाधन का तर्क दिया जा सकता है?

भारत की बात करें तो क्या इस स्थिति पर हैरत नहीं होनी चाहिए कि बारिश के महीनों में जो क्षेत्र बाढ़ से जूझते हैं, वे इलाके बाकी के महीनों में पानी की किल्लत में रहने लगे हैं। अभी तक तो किल्लत वाले इलाकों में कामकाज किसी तरह चल रहा था। इसका कारण था भूजल की पर्याप्त उपलब्धता, यानी भूजल को उलीच कर काम चल रहा है। लेकिन अब चेत जाना चाहिए, क्योंकि भूजल चुकने लगा है। भूजल चुकने का कारण भी साफ है। बारिश से ही सतही जल और भूजल दोनों का पुनर्भरण होता है। लेकिन भूजल के पुनर्भरण की एक गति है। पिछले कुछ समय में जिस रफ्तार से जमीन से पानी निकाला जा रहा है, वह पुनर्भरण की रफ्तार से तेज है। जाहिर है, भूजल घटता जा रहा है। देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां भूजल खत्म होने को है या पहुंच से काफी नीचे चला गया है। इसके लिए अगर पूरी ताकत लगा दें, फिर भी इसके पुनर्भरण में कई साल लग जाएंगे। इसीलिए वैज्ञानिकों और जल विशेषज्ञों ने पिछले महीने जो बयान जारी किया है, उसमें कहा गया है कि भूजल पर ज्यादा सोचने के लिए अब बिल्कुल समय नहीं बचा है।

भूजल संकट की बात को अगर और पुख्ता करना चाहें तो संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट पर नजर डाल लेनी चाहिए। इसके मुताबिक इस समय दुनिया में दो अरब लोग पीने के पानी के लिए भूजल पर आश्रित हैं। यही नहीं, खेती के लिए भी चालीस फीसद पानी जमीन से लिया जा रहा है। यहां तक कि कई नदी-तालाबों का स्रोत भी भूजल ही है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के 'वॉटर रिस्क एटलस' के मुताबिक एक सौ चौरासी में से करीब सत्रह देश ऐसे हैं जो जल संकट की 'अति गंभीर' श्रेणी में आ चुके हैं। ये वे देश हैं जहां कहा जाता है कि डे जीरो अब दूर नहीं। डे जीरो यानी वह दिन जब सभी नल सूख जाएंगे। इन देशों में कतर, इजराइल, लीबिया, जॉर्डन, ईरान, कुवैत, ओमान जैसे देश शामिल हैं। भारत भी इन्हीं में एक है। इस सूची में भारत का होना समस्या की गंभीरता समझने के लिए काफी माना जाना चाहिए।

ऐसा भी नहीं है कि भूजल संकट को लेकर भारत में समय-समय पर चिंताएं न जताई गई हों। पिछले साल ही नीति आयोग ने 'वाटर कंपोजिट इंडेक्स' रिपोर्ट में बताया था कि आने वाले एक साल में इक्कीस भारतीय शहरों में भूजल लगभग खत्म होने जा रहा है। भारत में आज बयासी करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं, जहां प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता सिर्फ एक हजार घनमीटर या उससे कम है। जबकि अंतरराष्ट्रीय मानदंड के मुताबिक प्रति व्यक्ति सालाना कम से कम एक हजार सात सौ घनमीटर पानी से ज्यादा उपलब्ध होना चाहिए।

भूजल के आसन्न संकट के सुविधाजनक समाधानों की सूची लंबी होती जा रही है। इन समाधानों में पानी का किफायत से इस्तेमाल का नारा प्रमुख है। जल संरक्षण में नागरिकों की भूमिका भी जोर-शोर से प्रचारित की जा रही है। वक्त-वक्त पर भूजल दोहन को कानूनी डंडे से रोकने के समाधान भी बताए जाते हैं। लेकिन जिस एक प्रमुख कारण की चर्चा कम होती है, वह है भूजल का अंधाधुंध दोहन। इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि वर्षा जल को रोक कर रखने का पर्याप्त प्रबंध हमारे पास नहीं है। हमें हर साल चार हजार अरब घनमीटर पानी प्रकृति से मिलता है, जिसमें से सिर्फ दो सौ सत्तावन अरब घनमीटर पानी हम बांधों, जलाशयों में रोक पाते हैं। जबकि विशेषज्ञ बताते हैं कि बारिश के दौरान हमें छह सौ नब्बे अरब घनमीटर वह सतही जल आसानी से उपलब्ध है जिसे गैर बारिश वाले आठ महीनों के लिए रोककर रखा जा सकता है। यदि यह पानी भंडारित हो तो भूजल पर निर्भरता अपने आप ही कम हो सकती है।

सच पर परदा

योगिता यादव

दुनिया मेरे आगे

जब कोई व्यक्ति चोरी करता पकड़ा जाता है, तो क्या आप उसे बाबा भारती और खड्ग सिंह की कहानी 'हार की जीत' सुनाते हैं? नहीं न! तब फिर स्त्रियों से संबंधित अपराध होने पर हमारे देश का कोई नेता और उन जैसे लोग श्लोक, मंत्र और पंचतंत्र की कथाएं क्यों सुनाने की सलाह देने लगते हैं? दरअसल, वे जानते हैं कि छोटे से दिमाग को उलझाए रख कर जेंडर या सामाजिक लिंग के एक बड़े प्रश्न को बेदखल किया जा सकता है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म, आधुनिक बनाम पारंपरिक की लड़ाई के बीच जेंडर की अस्मिता और संरक्षा के मुद्दे को बहुत शातिराना तरीके से उलझाया जा सकता है, जिसे इसके खैरख्वाहों ने ही यथासंभव उलझाया है।

भूख एक नैसर्गिक क्रिया है, लेकिन भूख के लिए किसी का अन्न, औषधि या सामान चुराना अपराध है और उसके लिए सजा निर्धारित है। भूख की मजबूरी से आप चोरी को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकते। पर यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में इन दोनों को भरसक उलझाया जाता है। दोनों ही जघन्य अपराधों को मनुष्य की स्वाभाविक सहवास की आवश्यकता बता कर सही ठहराने की कोशिश की जाती है। फिर चाहे इसके लिए पीड़िता का चरित्रहनन ही क्यों न करना पड़ जाए!

कुछ समय पहले 'मी टू' की मुहिम के दौरान जब महिलाएं अपने पुराने कटु अनुभवों को सामने लाकर अपनी साझी अस्मिता के लिए खड़ा होने की कोशिश कर रही थीं, तब भी कुछ महिलाएं इनके विरोध में आईं। यह उन लोगों के लिए अनुकूल मौका बन गया, जिन्हें स्त्री के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से ज्यादा उसकी यौन स्वतंत्रता की वकालत सूट करती है। जबकि अपनी दुनिया में वे आर्थिक मामलों में धोखाधड़ी, दल-बदल कानून और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी कानून का सहारा लेते हैं।

सच यह है कि सहमति से हुए सेक्स के बावजूद यौन शोषण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह बस वैसा ही है जैसे साझेदारी में शुरू किए गए कारोबार में धोखाधड़ी होने पर कानून किसी को मुकदमा करने का अधिकार देता है। हमारे देश और समाज में आर्थिक मामलों में धोखाधड़ी होने पर तो अपील का अधिकार है, पर शारीरिक संबंधों और प्रेम में हुई धोखाधड़ी पर महिलाएं 'चटखारे की विषयवस्तु' बन जाती हैं। कारण साफ है कि अब भी आधी आबादी जेंडर के मुद्दे को वोट बैंक नहीं बना पाई है। कितनी ही बार उसके मन का पलड़ा अपने जेंडर के बजाय अपने पुरुष साथी की विद्वता, महानता, सामाजिक-आर्थिक हैसियत और रसूख की तरफ झुक जाता है। स्त्री अस्मिता और सुरक्षा की गारंटी जैसा कोई संकल्प कहीं जगह नहीं हासिल कर पाता है। अब भी भारतीय राजनीति 'वीरों' की पनाहगाह है, स्त्री अस्मिता की नहीं।

करीब सत्रह साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक लड़की ने किशोरावस्था में ही वीर रस की कविताओं से मंचों पर तहलका मचा दिया था। चौबीस साल की उम्र में जब उसकी हत्या हुई तो वह गर्भवती थी। पोस्टमार्टम और फिर डीएनए जांच में पता चला कि उसके गर्भ में बच्चा एक स्थानीय बाहुबली नेता का था। फिर उससे जुड़ी कई कहानियों के अलावा नेता की पत्नी के नाम पर कवयित्री को कई तरह के लाभ दिलाने की खबरें तैरने लगीं। दरअसल, उस नेता के साथ उसकी पत्नी भी हत्या में शामिल थी। दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई। उस हत्याकांड ने पूर्वांचल की सियासत में तूफान मचा दिया था। लेकिन जानते हैं, जनता जनार्दन ने क्या किया? तैंतीस से ज्यादा मामलों में दोषी वह बाहुबली नेता सन 2007 में गोरखपुर जेल से ही चुनाव लड़ा और महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से बीस हजार वोटों से चुनाव जीता। तो हम, भारत के लोग, जो संविधान पर अटूट आस्था रखते हैं, वे असल में इतने भावुक और इतने विवेकहीन हैं कि मतदान करते समय हमें अपनी मां, बहन और बेटियों का भी खयाल नहीं आता।

हम वही जनता जनार्दन हैं जो बलात्कार के आरोपी और दोषी ठहराए गए बाबाओं की गिरफ्तारी के विरोध में लट्ठ लेकर खड़े हो जाते हैं, समाज सेवा और अध्यात्म के नाम पर। क्या हुआ जो बाबा ने आठ, दस या उससे भी ज्यादा महिलाओं, बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना लिया! न्याय मांगने के लिए दर-दर भटकती बलात्कार पीड़िता के लिए हमारा दिल भले न पसीजे, पर जब कोई नेता बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हो जाए तो हम उसके लिए जुलूस निकालेंगे और कहेंगे- 'हमारा विधायक निर्दोष है'। इन जुलूसों में महिलाएं भी होंगी!

अब भी हमारी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में कई ऐसे नेता हैं जिन पर संगीन आरोप लगे हैं और मुकदमे चल रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े एक शोध संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि सत्रहवीं लोकसभा के लिए चुन कर आए 542 सांसदों में से 233 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब बताइए कि आप किस तरफ हैं? इन्हें जिता कर दामिनी, निर्भया या दिशा के साथ जो हुआ, उससे उपजी पीड़ा पर मोमबत्तियां जलाने वालों की तरफ या बलात्कार से बचने के लिए लड़कों को श्लोक और मंत्र सुनाने वालों की तरफ?

स्वास्थ्य की सुध

हमारे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सबसे प्रमुख चुनौती है आबादी के अनुपात में अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत संरचना, दवाइयों, कुशल व प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं की भारी कमी है। इसके मद्देनजर टेलीमेडिसिन सेवा का उपयोग करके देश के सुदूर भागों और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में गुणात्मक सुधार ला सकते हैं। हमें चिकित्सा की ऐलोपैथिक पद्धति के अलावा उपलब्ध अन्य पद्धतियों पर भी जोर देना चाहिए, जैसे- आर्युवेद, योग, होम्योपैथी आदि। वैकल्पिक चिकित्सा के प्रचार-प्रसार के लिए भी प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई बातों का रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

आज देश के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.4 फीसद चिकित्सा सेवा में खर्च किया जाता है। इसे बढ़ाने की काफी जरूरत है तभी आबादी के अनुपात में डॉक्टर, अस्पताल और अन्य सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा। सरकार को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निजी चिकित्सा उद्योग क्षेत्र सिर्फ चुनिंदा शहरों तक सीमित न रहे बल्कि यह अपनी सुविधाओं का विस्तार छोटे एवं पिछड़े शहरों में भी करे। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि निजी अस्पताल वे मरीजों से मनमानी रकम न वसूल सकें। इसके लिए भी समुचित तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए।

निष्कर्षतः आज देश को एक ऐसी स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता है जो मौजूदा समय की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो और लगातार परिवर्तित हो रहे परिवेश में उत्पन्न संक्रामक बीमारियों से रक्षा कर सके। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, पर अभी भी इस क्षेत्र में काफी काम बाकी है। देश में स्वास्थ्य संरचना, उपचार परीक्षण और शोध की दिशा में निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि सबके लिए स्वास्थ्य का सपना साकार हो सके।

● *सूर्यभानु बांधे, रायपुर, छत्तीसगढ़*

विरोध और राजनीति

देश में अलग-अलग जगह हो रहा संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध इस कदर बढ़ गया है कि लोग महीनों से सड़क जाम कर बैठे हुए हैं। इससे आने-जाने वालों को भारी यातायात जाम और परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें अपनी आवाज उठाने का सबको हक है। लेकिन हमें समझना होगा कि दुनिया के सौ से ज्यादा देशों में एनआरसी लागू है। जब कोई नई चीज बनती है तो उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं लेकिन उसका पूरी तरह विरोध करना गलत है। यह देश हम सबका है, हम बदलाव के लिए सुझाव दे सकते हैं। इस वक्त विरोध कम राजनीति ज्यादा हो रही है।

इन दिनों धरने पर आ रहे छोटे-छोटे बच्चों के अंदर जहर भरा जा रहा है। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वे धरने में आ रहे हैं। इस समय सरकार की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह लोगों को आकर समझाए और उनसे संवाद करे। हम सबको समझदारी से काम लेने की जरूरत है।

● *आशीष गुसाईं, दिल्ली विश्वविद्यालय*

रहने लायक

अमेरिका के यूएस न्यूज, वर्ल्ड रिपोर्ट व वॉर्टन स्कूल के संयुक्त सर्वेक्षण में भारत को 73 देशों की वैश्विक सूची में 'रहने लायक देश' के लिहाज से 25वां स्थान मिला है। इससे पहले 2018 में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत महिलाओं के लिए विश्व में सबसे 'असुरक्षित' और 'खतरनाक' देश है। नन्हे बच्चों को पौष्टिक आहार व दवाओं से सुरक्षा देने के मामले में तो भारत की हालत अफ्रीकी गरीब देश केन्या और मिस्र से भी बुरी है। वैश्विक स्तर पर इस मामले में भारत 59 वें पायदान पर है।

पश्चिम एशिया के मुसलिम बहुल सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कम स्त्री स्वतंत्रता वाले देशों की तुलना में, भले ही वे भारत की तरह औरतों को स्वतंत्रता नहीं देते, लेकिन जिस हिसाब से भारत में लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार, जघन्य हत्या और मानव तस्करी की अनवरत घटनाएं हो रही हैं, उससे भारत की वैश्विक स्तर पर एक बहुत खराब छवि बन रही है। हमें आर्थिक, सैन्य व अंतरिक्ष महाबली बनने के साथ-साथ मानवीय, सहिष्णु, संवेदनशील, दयालु तथा धार्मिक व जातीय आधार पर मिल-जुलकर रहने वाले, शांतिपूर्ण समाज बनने का सद्प्रयास भी करना चाहिए, ताकि हम भी विश्व के उन 'रहने के लिए के लिए सर्वोत्तम देशों' में अपना कुछ गौरवपूर्ण स्थान बना सकें।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश*

प्रदूषण का जहर

आज चूंकि जल और वायु प्रदूषण का दौर है इसलिए मनुष्य के खाद्य उपभोग की तमाम चीजों को भी इस प्रदूषण ने अपने आगोश में ले लिया है। अनाज, दालों और सब्जियों में आर्सेनिक, यूरिया और पारे की खतरनाक स्तर में मौजूदगी मनुष्य जीवन पर आसन्न गहरे संकट की तरफ इशारा करती है। आवश्यकता से अधिक रसायनों के उपयोग से न केवल फसलें जहरीली हो रही हैं बल्कि भूजल भी खतरनाक रूप से कैंसर और अन्य रोगों का कारण बन कर लोगों को मौत की ओर धकेल रहा है। जहरीले और बेहद गंदे जल से सब्जियों की सिंचाई, उनकी धुलाई और उन्हें ताजा व हरा दिखाने के लिए प्रयुक्त रसायनों से पारा और आर्सेनिक तत्त्व सीधे मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। इससे स्थिति और अधिक भयावह होती जा रही है। इसे रोकने के अनेक उपाय हो सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त उपाय उपभोक्ताओं की जागरूकता है। जहां भी गंदे नालों से सिंचाई और सब्जियों की धुलाई होती दिखे, किसानों को समझाया जाए। सरकार अधिक सजग होकर इसे रोके अन्यथा बहुत बड़ी आबादी के बीमार होने पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अधिकतम अंश स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना पड़ सकता है।

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, दिल्ली*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com